बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक-स्था02/02-04/2017 07 पटना, दिनांक- 29.06.17

प्रेषक,

पूनम(भा०प्र०से०)
निदेशक।

सेवा में,

उप निदेशक (आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।
जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर (भभुआ), गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चम्पारण, प० चम्पारण, वैशाली, सारण, सिवान एवं गोपालगंज।

विषयः- मुख्यशीर्ष-3454 के राज्य स्कीम उपशीर्ष-0101-समग्र सांख्यिकी विकास योजना शीर्ष से अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं कर्मियों के क्षमता वर्द्धन हेतु कृषि सांख्यिकी से संबंधित वार्षिक आवृत्तिचर्या प्रशिक्षण-सह-समीक्षा बैठक के निमित्त वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹6,89,000/-(छः लाख नवासी हजार रुपये) का आबंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-428/वि० दिनांक-31.03.17 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2017 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 31.03.2017 को स्वीकृति प्रदान की जा चूकी है।

2. उक्त पत्र के कंडिका 3 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रावधानित राशि की सीमा तक व्यय किया जा सकता है।
3. तदनुसार उक्त पत्र के कंडिका-3 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है ।
3. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष 205- राज्य सांख्यिकी एजेंसी, समूह शीर्ष-राज्य योजना, उप शीर्ष-0101-समग्र सांख्यिकी विकास योजना, विषय शीर्ष-20-03 प्रशिक्षण व्यय के अन्तर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड-35-3454022050101 है।
4. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 एवं 2 से 39 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप निदेशक (आहरण एवं व्ययन) एवं सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे।
5. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन

है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।

6. प्रत्येक परिस्थिति में मद्वार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
7. व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंब्न, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगें।
8. आवंटित राशि को नियमानुसार व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।
9. आबंटित राशि स्वीकृतादेश संख्या-1292 दिनांक 21.06.2017 के आलोक में अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के क्षमता वर्द्धन हेतु कृषि सांख्यिकी से संबंधित वार्षिक आवृत्तिचर्या प्रशिक्षण-सह-समीक्षा बैठक के निमित्त निमानुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में विकलनीय है।

विश्वासभाजन

बजट सहायक   प्रशाखा पदा0   सहायक निदेशक   निदेशक 28/6/17

ज्ञापांक- 07   दिनांक- 29.06.17

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/6/17
निदेशक

ज्ञापांक- 07   दिनांक- 29.06.17

प्रतिलिपिः- 1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना एवं
2. सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/6/17
निदेशक

ज्ञापांक- 07   दिनांक- 29.06.17

प्रतिलिपिः- योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग(बजट शाखा)
2. उप निदेशक (योजना), उप निदेशक (कृषि) एवं उप निदेशक (प्रकाशन) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना
3. कार्यालय लेखापाल(दो प्रतियों में)/संबंधित कार्यालय परिचारी, निर्गत शाखा को गार्ड फाईल में चिपकाने हेतु एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेपित।
4. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, (अर्थ एव सांख्यिकी निदेशालय) बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस आवंटन को निदेशालय के साइट पर अपलोड करें।

28/6/17
निदेशक

आबंटन विवरणी

मुख्य शीर्ष-3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 205-राज्य सांख्यिकी एजेंसी, 0101-समग्र सांख्यिकी विकास योजना शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 का आवंटन विवरणी । मांग सं0-35 एवं विपत्र कोड-35-3454022050101

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	13-01 कार्यालय व्यय	20-03 प्रशिक्षण व्यय	14-01 किराया महसूल एवं कर	28-02 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
1	निदेशालय (मुख्यालय)	-	177000	-	-	177000
जिला सांख्यिकी कार्यालय						
2	पटना	-	23100	-	-	23100
3	नालन्दा	-	19200	-	-	19200
4	भोजपुर	-	13400	-	-	13400
5	बक्सर	-	10500	-	-	10500
6	रोहतास	-	18200	-	-	18200
7	कैमूर(भभुआ)	-	10500	-	-	10500
8	गया	-	23000	-	-	23000
9	जहानाबाद	-	6800	-	-	6800
10	अरबल	-	4800	-	-	4800
11	नवादा	-	13400	-	-	13400
12	औरंगाबाद	-	10500	-	-	10500
13	मुंगेर	-	8600	-	-	8600
14	बेगूसराय	-	17300	-	-	17300
15	खगड़िया	-	6700	-	-	6700
16	लखीसराय	-	6700	-	-	6700
17	शेखपुरा	-	5800	-	-	5800
18	जमुई	-	9600	-	-	9600
19	भागलपुर	-	15300	-	-	15300
20	बांका	-	10500	-	-	10500
21	पूर्णियाँ	-	13400	-	-	13400
22	अररिया	-	8600	-	-	8600
23	किशनगंज	-	6700	-	-	6700
24	कटिहार	-	15300	-	-	15300
25	सहरसा	-	9600	-	-	9600
26	सुपौल	-	10500	-	-	10500
27	मधेपुरा	-	12500	-	-	12500

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	13-01 कार्यालय व्यय	20-03 प्रशिक्षण व्यय	14-01 किराया महसूल एवं कर	28-02 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
28	दरभंगा	-	17300	-	-	17300
29	मधुबनी	-	20100	-	-	20100
30	समस्तीपुर	-	19200	-	-	19200
31	मुजफ्फरपुर	-	15300	-	-	15300
32	सीतामढ़ी	-	16300	-	-	16300
33	शिवहर	-	4800	-	-	4800
34	पूर्वी० चम्पारण	-	26000	-	-	26000
35	प० चम्पारण	-	17300	-	-	17300
36	वैशाली	-	14400	-	-	14400
37	सारण	-	19200	-	-	19200
38	सिवान	-	18200	-	-	18200
39	गोपालगंज	-	13400	-	-	13400
	कुल योगः-	-	689000	-	-	689000

(छः लाख नवासी हजार रुपये) मात्र।

बजट सहायक	प्रशाखा पदाधिकारी	सहायक निदेशक	निदेशक अर्थ एवं सां० निदेशालय